कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/साप्र/सी/भामाशाह सम्मान समारोह/2773/2024 दिनांक : यथाहस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।

विषय : 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर भामाशाह पात्रता राशि के सम्बन्ध में।

प्रसंग : शासन की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक : प.17(11)शिक्षा–6/2010 पार्ट(राजकाज 00880) जयपुर, दिनांक 02.08.2024 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित स्वीकृति के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि शासन के पूर्व दिशा–निर्देश दिनांक 13.03.2018 में निर्धारित मापदण्डानुसार भामाशाहों को सम्मानित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्ष 2023–24 के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर पात्रता गत वर्ष 2022–23 के अनुसार यथावत रखने की सहमति प्रदान की गई है। जिसके अनुसार भामाशाह की राज्य एवं जिला स्तर पर सम्मान हेतु पात्रता निम्नवत रहेगी :

शासन के दिशा–निर्देश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार भामाशाह सम्मान हेतु पात्रता राशि

	राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर
भामाशाह :	**15 लाख रूपये से अधिक सहयोग राशि**	**1 लाख रूपये या इससे अधिक तथा 15 लाख रूपये तक सहयोग राशि**
प्रेरक :	**30 लाख रूपये या इससे अधिक सहयोग राशि**	**5 लाख रूपये या इससे अधिक तथा 29.99 लाख रूपये तक सहयोग राशि**

साथ ही संदर्भित स्वीकृति अनुसार विभाग द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 04.08.2023 तथा दिनांक 15.05.2024 को आगामी वर्षो से लागू किया जावेगा।

अतः शासन द्वारा जारी नवीन स्वीकृति अनुसार राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाहों एवं उनकों प्रेरित करने में सहयोग करने वाले प्रेरकों के ऑनलाइन आवेदन ज्ञान संकल्प पोर्टल पर जिला स्तर (जिला शिक्षा शिक्षा अधिकारी (मु) प्रार.शि. एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी) पर अविलम्ब सत्यापित करने की कार्यवाही आगामी दो दिवस में करवावें।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/साप्र/सी/भामाशाह सम्मान समारोह/2773/2024 **दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/कार्यालय हाजा राजस्थान, बीकानेर।
6. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग।
10. उपनिदेशक, सी.एस.आर. प्रकोष्ठ, जयपुर ।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिले से सम्बन्धित समस्त भामाशाहों एवं प्रेरकों के ऑनलाईन आवेदन स्वीकृति में संशोधित राशि अनुसार सत्यापित कर ज्ञान संकल्प पोर्टल पर अपलोड करावें।
12. प्रभारी विभागीय वेबसाइट, प्रारम्भिक शिखा निदेशालय, बीकानेर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9527469

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2024.08.03 16:57:31 IST
Reason: Approved